

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 फाल्गुन 1939 (श0) (सं0 पटना 159) पटना, सोमवार, 26 फरवरी 2018

राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग

अधिसूचना 23 फरवरी 2018

सं० 3 / स्था॰नियमावली—02 / 2016—89—(रा॰)——रोहतास जिलान्तर्गत राजपुर अंचल के राजस्व ग्राम (मौजा)— (नचनियाँ) थाना सं० 15 का नाम परिवर्त्तित कर राजस्व ग्राम (मौजा)—''काशीपुरी'' करने के संबंध मे।

रोहतास जिलान्तर्गत राजपुर अंचल के राजस्व ग्राम (मौजा)—(नचनियाँ) थाना सं० 15 का नाम परिवर्त्तित कर राजस्व ग्राम (मौजा)—''काशीपुरी'' करने के संबंध में जिलाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 1807, दिनांक 13.10.2016 द्वारा नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया गया।

- 2. उल्लेखनीय है कि किसी भी राज्य के शहर, गांव, रेलवे स्टेशन आदि का नाम परिवर्त्तन राज्य सरकार की अनुशंसा पर गृह मंत्राालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तदालोक में राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग के पत्रांक—17(3)/रा०, दिनांक 10.01.2017 द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक—11/4/2017—M&G, दिनांक 03.08.2017 द्वारा उक्त आशय की अनापत्ति/सहमति संसूचित की गयी । तदनुसार नाम परिवर्त्तित करने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ रखा गया।
- 3. मंत्रिपरिषद् से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में रोहतास जिलान्तर्गत राजपुर अंचल केराजस्व ग्राम (मौजा)— ''नचनियाँ'' थाना सं० 15 का नाम परिवर्त्तित कर राजस्व ग्राम (मौजा)—''काशीपुरी'' किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, विवके कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 159-571+500-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in